निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 742) पटना, मंगलवार, 7 जुलाई 2026

विधि विभाग

अधिसूचना
7 जुलाई 2026

सं० एल०जी०–01–18/2026/5268/लेज––भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2026 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या–04, 2026]

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (यथा संशोधित) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) का निरसन करने हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना–चूँकि राज्य में कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्तन के लिए तथा उससे सम्बद्ध एवं अनुषंगी मामलों को अधिनियमित करने हेतु बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (यथा संशोधित) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) प्रवृत्त है।

और चूँकि विभिन्न विभागीय बैठकों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उनके प्रभावों तथा क्रियान्वयन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि इस अधिनियम के कारण राज्य को आशा के अनुरूप प्राप्तियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही है एवं राज्य में "Ease of Doing Business/Ease of Living" के उद्श्यों की पूर्ति तथा तीव्र औद्योगिकीरण के दिशा में कतिपय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

और चूँकि बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है।

और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिसके कारण बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 को निरसित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह अध्यादेश ''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026'' कहा जा सकेगा।
   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–
   (1) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) को निरसित किया जाता है।
   (2) परन्तु, ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। अधिनियम के अंतर्गत वे सभी लंबित कार्यवाहियां जो अंतिम रूप से संपन्न नहीं हुई हैं, समाप्त हो जाएंगी।

पटना, **ले ज सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 4 जुलाई, 2026 (ई०)। **बिहार राज्यपाल।**

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना, **ले ज सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 4 जुलाई, 2026 (ई०)। **बिहार राज्यपाल।**

विधि विभाग

अधिसूचना
7 जुलाई 2026

सं० एल०जी०–01–18 / 2026 / 5269 / लेज––बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2026 को प्रख्यापित **बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026** (बिहार अध्यादेश संख्या–04, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-04, 2026]

Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Ordinance, 2026

AN

ORDINANCE

to repeal the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (as amended) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).

Preamble-Whereas the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (As Amended) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is in force in the state for conversion of agricultural land for non-agricultural purposes and to enact related and incidental matters.

Furthermore, the provisions of the said Act, along with their impact and implementation, were duly reviewed in various departmental meetings. The review revealed that the State is not getting the revenue as expected due to this Act and is encountering certain obstacles in achieving the objectives of "Ease of Doing Business" and "Ease of Living" as well as in fostering rapid industrialization.

And whereas the Bihar State Legislature is not in session.

And whereas the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to repeal the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010.

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar promulgates the following Ordinance:

1. ***Short title and commencement.***—
   (1) This Ordinance may be called the "Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Act, 2026".
   (2) It shall come into force the date of publication in the Official Gazette.
2. ***Repeal and Savings.—***
   (1) The Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is hereby repealed.
   (2) Provided that notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act shall not be affected. All pending proceeding under the Act which has not attained finality shall abate.

Patna, **L T GEN SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***4th July, 2026*** ***Governor of Bihar.***

In exercise of the powers conferred under article 213 (1) of the Constitution, I hereby, promulgates this Ordinance.

Patna, **L T GEN SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***4th July, 2026*** ***Governor of Bihar.***

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 742-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in